संख्या– 395 /XIX/पुर्न0वि0/2005–23/खाद्य/2004

प्रेषक,

एम0सी0उप्रेती,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण,
देहरादून, उत्तरांचल।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग

देहरादूनः दिनाकः 22 मार्च, 2005

विषयः वित्तीय वर्ष 2004–05 में लेखा शीर्षक '3456' के अन्तर्गत पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः67/रा0आ0उ0सं0, दिनॉकः 07 मार्च, 2005 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्याः 190/23–खा0अनु0–ले0अनु0/2004, दिनॉकः 05 अप्रैल, 2004, संख्याः 370/XIX/Consumer Form Budget/2004, दिनॉकः 26 जून, 2004, संख्याः 593/XIX/23–खा0अनु0/2004, दिनॉकः 06 अगस्त, 2004 संख्याः 632/05/खाद्य/2004, दिनॉकः 20 अगस्त, 2004, संख्याः 694/XIX/23–खा0अनु0–ले0अनु0/2004, दिनॉकः 06 सितम्बर, 2004, संख्याः 769/XIX/Budget/2004, दिनॉकः 24 सितम्बर, 2004 तथा संख्याः 808/XIX/Budget/2004, दिनॉकः 16 अक्टूबर, 2004 के अनुकम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय खाद्य विभाग के राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण के अधिष्ठान मद के अर्न्तगत निम्न विवरणानुसार रू0 2,70,000.00 (रूपये दो लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0 –15 पर अंकित विवरणानुसार उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

मानक	मद का नाम	स्वीकृत धनराशि (रूपयों में)
13–	टेलीफोन पर व्यय	1,50,000
15–	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20,000
17–	किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	1,00,000
	योग	2,70,000

1. उक्त धनराशि केवल उन्हीं मदों पर व्यय की जायेगी जिनके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों के कियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

.....2/–

Burman/Letter doc

2. स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्जेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

3. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृति धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय नहीं किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत समक्ष अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथा आवश्यकता अनुसार ही व्यय किया जायेगा तथा व्यय का विवरण यथासमय प्रत्येक माह बी0एम0–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5. उक्त मद मितव्ययता की मद है इसमें व्यय सीमित रखते हुए कटौती किये जाने का प्रयास किया जाय।

6. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 3456–सिविल पूर्ति–00–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–04 –उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय के अन्तर्गत प्रस्तर –1 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–957/वि0अनु0–3/2005, दिनॉक: 18 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0सी0उप्रेती)
अपर सचिव।

संख्याः 395 (1)/XIX/पुर्न0वि0/2005–23/खाद्य/2004, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
3. अध्यक्ष, समस्त जिला उपभोक्ता फोरम, उत्तरांचल।
4. समस्त जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तरांचल।
5. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
7. वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी, हल्द्वानी/देहरादून।
8. सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
10. समन्वयक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0सी0लोहनी)
संयुक्त सचिव।

Burman/Letter doc